06.06.2017

પગારની ફેસ મોડિફિકેશન ને પેજ ડી પ્રમાણે
ઉપરિયા નિધિ સૂચના મે મિટવારાં ગામ
ક્રમાંક-નિયમનમાં પગારની ફિક્સ સૂચના
શ્રી ગઢવાળ અને માનની નોંધ

[illegible]

1. नानू पुत्र नन्दा जाट, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा। —प्रार्थी

बनाम

1. हीरा पुत्र त्रिलोक जाट, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. हेमा पुत्र दोला जाट, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. रामपालदास पुत्र शंकरदास वैष्णव, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. भैरू पुत्र दोला जाट, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. गोपाल पुत्र राजू जाट, नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता चॉदी बेवा राजू जाट, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. सुरेश पुत्र राजू जाट, नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता चॉदी बेवा राजू जाट, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
7. चांदी बेवा राजू जाट, निवासी सालमपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा। ---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू.—राज.अधि., 1956

निर्णय दिनांक 06.06.2017

प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज. भू.—राज. अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 14.02.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सालमपुरा, पटवार हल्का कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाडा में खाता संख्या 80 में स्थित प्रार्थी की आराजी संख्या 170 रकबा 02—12 बीघा, आराजी संख्या 171 रकबा 01—08 बीघा, कुल किता 02 कुल रकबा 04—00 बीघा, खाता संख्या 81 में आराजी संख्या 165 रकबा 03—13 बीघा, आराजी संख्या 172 रकबा 0—15 बीघा, आराजी संख्या 174 रकबा 02—14 बीघा, आराजी संख्या 515/174 रकबा 0—18 बीघा कुल किता 04 कुल रकबा 08—00 बीघा एवं खाता संख्या 36 आराजी संख्या 179 रकबा 03—12 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 07 उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम सालमपुरा, पटवार हल्का कोचरिया, तहसील व जिला भीलवाडा में खाता संख्या 80 में स्थित प्रार्थी की आराजी संख्या 170 रकबा 02—12 बीघा, आराजी संख्या 171 रकबा 01—08 बीघा, कुल किता 02 कुल रकबा 04—00 बीघा, खाता संख्या 81 में आराजी संख्या 165 रकबा 03—13 बीघा, आराजी संख्या 172 रकबा 0—15 बीघा, आराजी संख्या 174 रकबा 02—14 बीघा, आराजी संख्या 515/174 रकबा 0—18 बीघा कुल किता 04 कुल रकबा 08—00 बीघा एवं खाता संख्या 36 आराजी संख्या 179 रकबा 03—12 बीघा कृषि भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 1400/— अक्षरे चौदह सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/— रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 06.06.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)